

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1149/2022/10-11/2303

भोपाल, दिनांक 29-6-22

प्रति,

महाप्रबंधक,

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,

नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, भवन क्रमांक-1, मूसाखेड़ी, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

विषय:- देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत MBR, पम्प हाऊस एवं पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन का पत्र क्र./मा0चि0/2022/4026 दि0 16.06.2022

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन ने विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इस कार्यालय को अपनी अनुशंसा उपरांत स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रस्ताव में आपके द्वारा 0.95 हेक्टेयर वनभूमि में से 0.22 हेक्टेयर वनभूमि पम्प हाऊस के लिए चाही गई है। उक्त पम्प हाऊस पहाड़ी पर निर्मित होना है। इस पम्प हाऊस तक पाइप लाईन पहुंचने एवं वापस आने हेतु कोई वनभूमि की मांग नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त वस्तुस्थिति से तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।



(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29-6-22


पृ. क्रमांक/एफ-5/1149/2022/10-11/2304

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, देवास, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल